आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित। 3	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही
	1	

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0पी0 वाद संख्या– 01/2020–21
मोहन मिरधा उर्फ मोहन तूरी
–बनाम–
मो0 फूलो देवी वगै0

27/12/22

अपीलार्थी :–(1). मोहन मिरधा उर्फ मोहन तूरी, पिता–स्व0 मंगू मिरधा उर्फ मंगू तूरी, सा0–गेड़ा परिहारपुर, थाना–मिर्जाचौकी, जिला–साहेबगंज।

उत्तरवादी :– (1). मसोमात फूलो देवी, पति–स्व0 परमा साह,
(2). आनन्द साह, पिता–स्व0 सेवी साह,
(3). प्रभु साह, पिता–स्व0 सेवी साह, सा0–रूँजी, पो0–गंगटी, थाना–गंगटी, जिला–गोड्डा।
(4). उपेन्द्र कुँवर प्रधान, मौजा–गेड़ा परिहारपुर, थाना–मिर्जाचौकी, जिला–साहेबगंज।
(5). गणेश मिरधा, पिता–मोती राम मिरधा,
(6). मालती देवी, पति–लालू तूरी, पिता–बाबूराम मिरधा, सा0–धनबाद, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद आवेदक मोहन मिरधा उर्फ मोहन तूरी, पिता–स्व0 मंगू मिरधा उर्फ मंगू तूरी, सा0–गेड़ा परिहारपुर, पो0–मंडरो, थाना–मिर्जाचौकी, जिला–साहेबगंज द्वारा संथाल परगना काश्ततकारी अधिमियम 1949 की धारा–67(2) के अन्तर्गत मौजा–गेड़ा परिहारपुर, जमाबंदी नं0–28, दाग नं0–320 रकवा 00–04–10 धूर जमीन से विपक्षी मसोमात फूलो देवी, पति–स्व0 परमा साह, आनंद साह, पिता–स्व0 सेवी साह एवं प्रभु साह, पिता–स्व0 सेवी साह, सा0–रूँजी, पो0–गंगटी, थाना–गंगटी, जिला–गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिहानी हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित ब्यान भी दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल ब्यान अन्तर्गत मौजा–गेड़ा परिहारपुर, जमाबंदी नं0–28, दाग नं0–320 रकवा 00–04–10 धूर जमीन जमाबंदी रैयत भत्तु मिरधा उर्फ भत्तु तूरी है। जमाबंदी रैयत का मृत्यु के बाद जमाबंदी रैयत की पुत्री सोनिया मिरधाईन, पति–फागु मिरधा व उनके पुत्र बाबूराम मिरधा वर्ष 1998

आदेश की कमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2

में बसोवास के लिए दिये, जो बिना किसी आपत्ति के आवेदक निवास करते आ रहे है।

विपक्षीगण जमाबंदी रैयत के खनदान से नहीं है और सोनिया मिरधा के जींवनकाल में जमाबंदी रैयत की परती जमीन को हड़पनें का प्रयास के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में उच्छेदी वांद दायर के क्रम में सोनिया मिर्धाइन के पक्ष में आदेश देते हुए विपक्षीगण को उच्छेद करते हुए प्रश्नगत जमीन को खाली कराकर आवेदिका को कब्जा दिलवाने हेतु आदेश दिये है।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेगबंज द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त न्यायालय अन्तर्गत वाद वाद संख्या 12/2001–02 दाखिल किया गया, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है।

विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण क्रमशः 1, 2 एवं 3 के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है, जिसमें उललेख किया गया है कि मौजा–गेड़ा परिहारपुर, जमाबंदी नं0–28, दाग नं0–320 रकवा 00–04–10 धूर जमीन को सोनिया मिरधाइन वगैरह से दिनांक 03.09.1999 को दान–पत्र से लेकर कच्ची झोपड़ी बनाकर रहने के आधार पर दावा कर रहे है। मोहन मिरधा अपनी पत्नी सावित्री देवी एवं बच्चों सहित जिरवाबाड़ी में रहते है एवं एक जाली कागजात दान–पत्र बनाकर उस जमीन पर दावा करते है। आवेदक मौजा के उक्त जमाबंदी पर भी झोपड़ी नहीं है और आवेदक अपने परिवार के साथ कभी भी नहीं रहा है। आवेदक हमेशा से जिरवाबाड़ी में घर बनाकर रह रहा है। विपक्षीगण बहुत गरीब एवं उन्हें आवास हेतु अन्य कोई घर नहीं है।

अतएव विपक्षीगण के कारणपृच्छा को स्वीकार करने तथा आवेदक के आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात व अंचल अधिकारी, मंडरो द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है कि

1. मौजा–गेड़ा परिहारपुर, थाना नं0–43, खाता नं0–28, दाग नं0–320 रकवा 00–12–14 धूर जमीन, किस्म–धानी–II भतु मिर्धा वल्द मंगू मिर्धा के नाम खतियान में दर्ज है, जो अहस्तनांतरणीय है।
2. आवेदक गेड़ा परिहारपुर में नहीं रहते है। मौजा–गेड़ा परिहारपुर का अंश रकवा 00–04–10 धूर जमीन खतियानी रैयत के वारिशान मसोमात सोनिया मिरधाइन, पति–स्व0 फागु मिरधा, पुत्री–मंगल मिरधा, बाबूराम मिरधा, पिता–स्व0 फागु मिरधा से शपथ पत्र के माध्यम से दान–पत्र स्वरूप प्राप्त किये है।
3. विपक्षीगण मसोमात फूलो देवी, पति–स्व0 परमा साह, आनंद साह, पिता–सेवी साह, प्रभु साह, पिता–स्व0 सेवी साह, सा0–रूँजी, पो0–गंगटी, थाना–गंगटी, जिला–गोड्डा के निवासी है, ने खतियानी रैयत के वारिशान बाबूराम मिरधा एवं अन्य से जमीन प्राप्त किये है, जो विवाद का कारण है। चुँकि दोनों कर चौहद्दी एक ही है तथा विपक्षीगण ही वर्णित विवादित दाग नं0–320 रकवा 00–04–10 धूर दावा कर रहे है।
4. मंडरो अंचल की भूमि दामिन–इ–कोह अन्तर्गत अवस्थित है जहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू है के नियम 20 अन्तर्गत

आदेश पर लिए गए की गई कार्यवाही अंक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई

अहस्तांतरणीय है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से भूमि प्राप्त किया गया है। जबकि पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा–42 के तहत उच्छेद किया गया है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है। यदि भू–स्वामिनी मोसमात सोनिया लूरीन चाहे तो अपना दावा हेतु सक्षम न्यायालय में आवेदन दाखिल कर सकती है। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

ह०/- 8/1/22
उपायुक्त
साहेबगंज।

ह०/- 8/1/22
उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 13:47:29 +05:30
Location: 192.168.29.209